

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1576(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1860 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “डा. बाबासाहेब अम्बेडकर वैद्याकिया प्रतिष्ठान, गजानन महाराज मंदिर के सामने, गरखेडा परिसर, औरंगाबाद” द्वारा ‘ग्रामीण निर्धनों के लिए पहले से चल रहे अस्पतालों और स्वास्थ्य की देखभाल केन्द्रों’ की परियोजना को, वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 13.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 9 पर विनिर्दिष्ट किया था और जिसे दिनांक 31.07.2014 की अधिसूचना सं. का. आ. 1932 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना लागत के 13.81 लाख रु. से बढ़कर 20.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम की परियोजना लागत को 13.81 करोड़ रुपये से 20.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, दिनांक 11.08.11 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 1860 (अ) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम लागत से संबंधित क्रम सं. (09), कॉलम (4) में “ 13.81 करोड़ रुपये” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए “ 20.00 करोड़. रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं.147 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मन्मथ लाल मीना, उप- सचिव(राष्ट्रीय समिति)